अध्याय V

सीमाशुल्क राजस्व का निर्धारण

हमने अभिलेखो (फरवरी 2015 से मार्च 2016) की नमूना जांच से सीमा शुल्को के गलत निर्धारण के ₹17.48 करोड़ के कुल राजस्व वाले 29 मामले पाएं। इनमें से 14 मामलो की चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है तथा 15 मामलो जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकार किया गया है तथा वसूली की गई है/वसूली प्रक्रिया आरम्भ की गई है, को **अनुलग्नक** 9 में वर्णित किया गया है।

5.1 लागू एन्टी डंपिंग शुल्क के उदग्रहण के बिना स्वीकृत आयात

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9ए के अनुसार, जहां भारत को किसी देश से किसी वस्तु का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम पर किया जाएं तो केन्द्रीय सरकार एक अधिसूचना द्वारा भारत के अन्दर ऐसी वस्तु के आयात पर एन्टी डंपिंग शुल्क (एडीडी) लगा सकती है। तदनुसार, एडीडी को 'हेक्सजामिन', 'मीथइलीन क्लोराइड', एल्बेन्डाजोत, इलेक्ट्रॉनिक केलकुलेटर, 'एल्यूमिनियम एलॉय व्हीलस' तथा फिनोल जैसे माल पर समय समय पर तब लगाया गया जब इन्हें साउदी अरब, चीन, सिंगापुर, यूएसए, यूरोपिय संघ तथा ताइवान जैसे निर्दिष्ट देशो से आयात किया गया था।

निर्धारण अधिकारियों ने ₹ 6.23 करोड़ की लागू एडीडी राशि का उदग्रहण किए बिना इन निर्दिष्ट देशो से मैं. आशीष लाइफ साइंस प्रा. लिमिटेड तथा 28 अन्यों द्वारा आयातित ऐसे माल के 67 प्रेषणो को मंजूरी दी।

मंत्रालय/आईसीडी तुगलकाबाद/जेएनसीएच, मुम्बई प्राधिकरणो ने हेक्सामीन, इलेक्ट्रानिक केलकुलेटर तथा 'एल्यूमिनियम एलोय व्हीलस' के आयात के संदर्भ में एक आयातक को कम प्रभार सह मांग नोटिस के अलावा ₹ 1.33 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

जेएनसीएच प्राधिकारियों ने 'पालीप्रोपलीन' के आयात के संदर्भ में कहा कि दिनांक 5 जुलाई 2016 की अधिसूचना संख्या 29/2016 सी.शु. (एडीडी) द्वारा सीबीईसी (बोर्ड) ने 'पालीप्रोपलीन बीडस' को एडीडी लगाने से बाहर रखा था, इसलिए एडीडी दिनांक 8 मार्च 2016 की अधिसूचना द्वारा लागू नहीं है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिनांक 8 मार्च 2016 की अधिसूचना संख्या 7/2016-सी.शु. (एडीडी) में संशोधन 5 जुलाई 2016 (अधिसूचना संख्या 29/2016-सी.शु. (एडीडी)) से लागू हुआ जबकि माल को 10 मार्च 2016 से 29 मार्च 2016 तक आयात किया गया था जिसके दौरान अधिसूचना संख्या 7/2016-सी.शु. (एडीडी) लागू था तथा तदनुसार माल एडीडी का दायी था।

10 आयातको द्वारा आईसीडी तुगलकाबाद, जेएनसीएच, न्हावा-शेवा, मुम्बई से किए गए आयात के संदर्भ में उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

5.2 गोदाम में रखे माल (लिकर) के निपटान में विलम्ब के कारण राजस्व का संग्रहण न होना

सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 61(1)(बी) के साथ पठित धारा 2 के अनुसार, यदि गोदाम में रखे माल को निर्धारित अवधि के अन्दर न हटाया जाए तो उपयुक्त अधिकारी को शुल्क के भुगतान की तिथि तक देय ब्याज सहित ऐसे माल के कारण प्रभार्य शुल्क की पूर्ण राशि की मांग करनी है। मांग की गई राशि का भुगतान करने में विफलता के मामले में उपयुक्त अधिकारी को माल को रोकने के लिए शीघ्र कार्रवाई करना तथा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 72 के प्रावधानो के अनुसार माल की नीलामी करके शुल्क की वसूली के लिए कार्रवाई करना अपेक्षित है। यदि ऐसी वूसली मांग से कम हो तो आयातक सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के तहत आगे वूसली कार्रवाई के लिए उत्तदायी होगा ।

जेएनसीएच तथा एनसीएच के निपटान अनुभाग की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2001-02 से 2013-14 तक की समयावधि से संबंधित लिकर के 157 बांड/लॉट (जेएनसीएच में 103 तथा एनसीएच में 54) अनुबंधित गोदामो में पड़े थे। इसके अलावा, ₹5.65 करोड़ के शुल्क अंश सहित ₹ 3.53 करोड़ के 136 लॉट/बांड में बांड सेक्शन पर समाप्त बांड पर कार्रवाई करने तथा माल की नीलामी करने के लिए निपटान सेक्शन के निपटान आदेश जारी करने में असामान्य विलम्ब देखा गया जिसके परिणामस्वरूप समय बीतने के साथ माल तथा इसके वाणिज्यिक मूल्य का ह्रास हुआ।

इसे बताए जाने पर (फरवरी 2016) जेएनसीएच प्राधिकारियों ने कहा (अप्रैल 2016) कि 28 बांड/लॉट का पहले ही निपटान हो गया था, 2 बांड/लॉट पुन:

निर्यात हेतु प्रक्रिया के अधीन है तथा 1 बांड जिसमें शुल्क का भुगतान किया गया है, निपटान के अन्तर्गत है। तथ्य यह है कि ₹ 1.65 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य वाले शेष 105 लॉट/बांडो के लम्बित निपटान पर ₹2.64 करोड़ का शुल्क जारी नहीं किया गया। आगे प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

5.3 डीटीए मंजूरी पर एन्टी डंपिंग शुल्क का उदग्रहण न होना

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9ए की उप धारा 2ए अनुबंधित करती है कि एक्सपोर्टिड ओरिएन्टिड यूनिट (ईओयूज) द्वारा आयातित माल एडीडी से छूट प्राप्त है। यदि आयातित माल को घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) के अन्दर मंजूरी दी जाए या ऐसे माल जिसे डीटीए के अन्दर मंजूर किया गया है के निर्माण में उपयोग किया जाए जो एडीडी माल का जब भारत में उसका आयात किया गया था तब उस पर उदग्राहण रूप में स्वीकृत अथवा उपयुक्त माल के उस भाग पर लगाया जाना चाहिए। दिनांक 24 जुलाई 2008 की परिपत्र संख्या 12/2008-सीशु. के पैराग्राफ 10 के तहत समान प्रावधानो का वर्णन किया गया था। तदनुसार आयात के समय माल पर छोडे गए एडीडी के समान राशि को भी किसी माल के निर्माण हेतु उपयुक्त माल की समान मात्रा पर भुगतान किया जाना अपेक्षित है जिसे डीटीए के अन्दर अथवा माल की ऐसी मात्रा जिसे डीटीए के अन्दर मंजूर किया गया है, पर स्वीकृत किया गया है।

सिंगापुर [अधिसूचना संख्या 119/2010-सीशु. (तालिका की क्रम संख्या 19)] से उत्पादित तथा निर्यातित 'पालीप्रोपलीन' (सीटीएच 39021000 अथवा 39023000) दिनांक 19 नवम्बर 2010 में निर्धारित दर पर एडीडी के लिए उदग्राह्य है।

दमन कमिश्नरी के तहत मै. फाइबरवेब इंडिया प्रा; लिमिटेड, एक ईओयू 'पालीप्रोपलीन' से 'स्पन बांड नॉन वोवन फेब्रिक्स' (अध्याय 56) का निर्माण करने में संलग्न है। ईओयू ने मै. एक्सॉन मोबाइल केमिकल्स एशिया पेसिफिक, सिंगापुर से पालीप्रोपलीन का आयात किया तथा घरेलू बाजार से पालीप्रोपलीन की भी खरीद की। इकाई ने 7369.89 एमटी निर्मित माल, अपशिष्ट/स्क्रैप की निकासी की थी तथा इन माल में उपयुक्त पालीप्रोपलीन की मात्रा पर एडीडी के भुगतान के बिना 2009-10 से 2013-14 तक की समयावधि में डीटीए में

₹ 78.22 करोड़ मूल्य को अस्वीकृत किया था। चूंकि इकाई ने एडीडी हेतु उदग्राहय पालीप्रोपलीन (सीटीएच 39021000) का आयात किया था परन्तु यह ईओयू में छूट हेतु पूर्वोक्त प्रावधानो के अनुसार डीटीए में स्वीकृत माल के निर्माण में उपयुक्त पालीप्रोपलीन के भाग पर एडीडी के लिए उत्तरदायी था। इसके परिणामस्वरूप ₹1.07 करोड़ के एडीडी का उदग्रहण नहीं हुआ जो लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

इसे बताए जाने पर (फरवरी 2015), मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2016) कि कारण बताओं नोटिस का निर्णय किया गया है (फरवरी 2016) तथा इकाई ने सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की थी जो लम्बित है। हालांकि इकाई ने ₹ 1.07 लाख जमा किए थे (मई 2016)। आगे प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

5.4 संस्वीकृत फिरती का अनियमित नियमितीकरण

सीमा शुल्क, केन्दीय उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर फिरती नियमावली, 1995 के नियम 16ए के अनुसार, यदि बिक्री प्रक्रियाओं को आरबीआई द्वारा किसी विस्तारण के अधीन विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए), 1999 के अन्तर्गत स्वीकृत अवधि के अन्दर न किया जाए तो किसी निर्यातक को भुगतान की गई फिरती (डीबीके) वसूलीयोग्य होती है। वसूली के लिए उक्त अवधि 31 मार्च 2013 से पूर्व 12 माह तथा इसके पश्चात दिनांक 20 मई 2013 की आरबीआई ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 105 तथा दिनांक 20 नवम्बर 2014 की परिपत्र संख्या 37 द्वारा निर्दिष्ट रूप में 9 माह थी। यह परिणाम निकलता है कि यदि आरबीआई द्वारा निर्यात वसूली अवधि को बढाया न जाए तो निर्यात डीबीके के भुगतान हेतु अयोग्य हो जाता है।

फिरती के भुगतान से संबंधित फिरती शिपिंग बिल तथा फिरती स्क्रोल के साथ आरबीआई, कोलकाता से प्राप्त दिसम्बर 2014 तक समाप्त अर्द्धवार्षिक के लिए निर्यात विदेशी विनियम बकाया विवरण (एक्सओएस) की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 90.48 लाख की फिरती सहित कोलकाता एयरपोर्ट कमिश्नरी से 53 (तरेपन) शिपिंग बिलो (फरवरी 2013 से जून 2014 तक की समयावधि हेतु) के माध्यम से निर्यातित माल के संदर्भ में पूर्ण निर्यात प्रक्रियाएं निर्यात की

तिथि से बारह से अधिक माह अथवा आरबीआई द्वारा विस्तारित अवधि के पश्चात भी प्राप्त नहीं की गई।

इसे बताए जाने पर (जनवरी 2016), विभाग ने ₹11.09 लाख की पूर्व /अंशत: वसूली के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए (मई 2016) तथा यह सूचित किया (जून 2016) कि फिरती की शेष राशि को निर्यात प्राप्ति में विलम्ब की अवधि हेतु फिरती राशि पर ब्याज की वूसली करके निर्यातको द्वारा प्रस्तुत किए गए ई-बीआरसी प्रमाण पत्र के आधार पर नियमित किया गया था।

विभाग द्वारा प्रस्तुत ई-बीआरसी की प्रति की संवीक्षा से पता चला कि 29 शिपिंग बिलो के संदर्भ में, निर्यात प्राप्ति पूर्वोक्त परिपत्रो के तहत आरबीआई द्वारा निर्धारित निर्यात प्राप्ति की स्वीकार्य अवधि की समाप्ति के पश्चात किया गया परन्तु आरबीआई द्वारा मंजूर निर्यात प्राप्ति अवधि के विस्तार हेतु लेखापरीक्षा को कोई दस्तावेज/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। आरबीआई द्वारा स्वीकृत किए जा रहे किसी विस्तार के अभाव में, पूर्वोक्त नियम 16ए जो आनुपातिक फिरती की वसूली को न्यायसंगत ठहराती है, के अनुसार ऐसी निर्यात प्राप्ति फिरती के दावे को अयोग्य बनाती है। इसलिए, निर्धारित नियमो/प्रावधानो/निर्देश के उल्लंघन में निर्यात प्राप्ति में विलम्ब की अवधि के लिए ऐसी फिरती राशि पर ब्याज की वसूली करके सीमाशुल्क विभाग द्वारा ₹50.43 लाख की संस्वीकृत फिरती राशि का नियमितीकरण अनियमित था।

इसे बताए जाने पर (जून/जुलाई 2016), सीमाशुल्क विभाग ने आपतिजनक मामलो में फिरती की वसूली के लिए जारी पत्र होने तथा इन निर्यातको के फिरती के वितरण को रोकने की सूचना दी (जुलाई/अगस्त 2016)। आगे प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

5.5 सुरक्षा शुल्क का उदग्रहण न होना

5.5.1 'सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की निर्दिष्ट टैरिफ मदो के अन्तर्गत आने वाली 'सीमलेसटयूब, पाइप ऑफ आयरन, निर्दिष्ट माप तथा विशेषता का एलॉय अथवा गैर एलॉय स्टील 13 अगस्त 2014 जब विकसित देशो तथा चीन से आयात किया गया, से प्रभावी मूल्यवर्धत 20 प्रतिशत की दर पर सुरक्षा शुल्क आकर्षित करता है।

मै. इमरसन क्लाइमेट टेक्नोलाजी (इंडिया) लिमिटेड तथा तीन अन्यो ने जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुम्बई के माध्यम से 'सीमलेस टयूबस, पाइपस' के एक प्रेषण का आयात किया था (अगस्त से नवम्बर 2014) । आयातित माल को सीटीएच 73041910, 73041990 तथा 73042990 के तहत वर्गीकृत किया गया तथा सुरक्षा शुल्क के उदग्रहण के बिना मंजूर किया गया। इसके परिणमस्वरूप ₹23.44 लाख के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इस ओर ध्यान दिलाने पर, जेएनसीएच प्राधिकारियों ने मैसर्स एस्टीम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को कम प्रभार सहित मांग नोटिस जारी करने के बारे में बताया (नवम्बर 2016) जो निर्णयाधीन है ।

अन्य दो आयातकों के संबंध में उत्तर प्रतिक्षित है (जनवरी 2017) ।

5.5.2 'निर्दिष्ट कार्बन चेन लेन्थ के साथ सेचूरेटिड फैटी, एल्कोहल' तथा सीमाशुल्क टैरिफ हैडिंग (सीटीएच) 382370 के अन्तर्गत आने वाली मदे सुरक्षा शुल्क आकर्षित करती है।

मै. चेमो इंडिया तथा दो अन्य आयातको ने जेएनसीएच, न्हावा शेवा, मुम्बई के माध्यम से सीटीएच 38237090 के अन्तर्गत वर्गीकृत 'औद्योगिक फैटी एल्कोहल' के तीन प्रषणो का आयात किया था (अक्तूबर 2014/अक्तूबर 2015)। माल को ₹10.80 लाख की राशि जिसमें ₹1.42 लाख का ब्याज सम्मिलित है, के सुरक्षा शुल्क का उदग्रहण किए बिना मंजूर किया गया।

इसे विभाग को दिसम्बर 2015 में बताया गया। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

5.6 दर के गलत अनुप्रयोग के कारण अधिक फिरती भुगतान

1 अक्तूबर 2011 (दिनांक 22 सितम्बर 2011 की अधिसूचना संख्या 68/2011-सीशु. (एनटी)) से प्रभावी फिरती अनुसूची के अनुसार, फिरती अनुसूची उप शीषर्क संख 520905, 520906, 520907 एवं 521103 के तहत वर्गीकरणीय कॉटन डेनिम फेब्रिक्स निर्यात के एफओबी मूल्य के 4.7 प्रतिशत /5 प्रतिशत की दर पर फिरती के पात्र थे चाहे सेनवेट सुविधा का लाभ लिया गया है अथवा नहीं। उक्त फिरती दरो को 1 अक्तूबर 2011 से इसे प्रभावी करते हुए दिनांक 28 अक्तूबर 2011 की अधिसूचना संख्या 75/2011-सीशु.

(एन.टी.) द्वारा संशोधित किया गया जबकि फिरती उपक्रम संख्या 520905बी, 520906बी, 520907बी एवं 521103बी के तहत उक्त वर्णित मदो के संदर्भ में फिरती दर को तब एफओबी मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर संशोधित किया गया जब सेनवेट सुविधा का लाभ उठाया गया था।

सीमा शुल्क कमीश्नरी (रक्षात्मक), पश्चिम बंगाल के तहत फिरती मामलो की संवीक्षा से पता चला कि मै. अरविन्द लिमिटेड ने 4.7/5 प्रतिशत की अधिक दर पर 16 बिलो के माध्यम से किए ''कॉटन डेनिम फेब्रिक्स' के निर्यात (अक्तूबर /नवम्बर 2011) के लिए फिरती को सवीकृत किया था हालांकि निर्यातित माल के लिए सेनवेट क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाया गया है, यह तथ्य सही है जिसे निर्यातको द्वारा अपनी एआई -। में घोषणा के माध्यम से स्वीकृत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 20.55 लाख तक फिरती का अधिक भुगतान हुआ था जो लागू ब्याज सहित वसूली योग्य था।

इसे बताए जाने पर (मार्च/मई 2015/जुलाई 2016), मंत्रालय ने एक निर्यात प्रेषण के संदर्भ में ब्याज सहित ₹ 2.81 लाख की वसूली की सूचना दी (सितम्बर 2016) तथा यह कहा कि मांग की पुष्टि के प्रति निर्यातक की अपील लम्बित है। आगे प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

5.7 ब्याज की वसूली न होने के कारण राजस्व की हानि

दिनांक 13 मई 2002 की अधिसूचना संख्या 28/2002-सीशु. (एनटी) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, की धारा 47(2) के अनुसार, जहां आयातक उस तिथि जिससे उसे शुल्क के भुगतान हेतु बिल की प्रविष्टि वापिस की जाती है, से पांच दिनो (अवकाश का छोड़कर) के अन्दर उप धारा (1) के तहत आयात शुल्क का भुगतान करने में विफल होता है तो वह ब्याज का भुगतान करेगा, वह कथित शुल्क के भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 47 का संशोधन 10 मई 2013 को किया गया जिससे दिनो जिसके अन्दर आयातक को सीमाशुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है, की संख्या को पांच से दो दिनो (अवकाश को छोड़कर) तक कम किया गया।

अप्रैल 2013 तथा मई 2013 के माह हेतु आईसीईएस 1.5 डम्प डाटा (मार्च/ अप्रैल 2015 में प्राप्त) के विश्लेषण से पता चला कि पूर्व कथित अनुसार 5 दिनो अथवा 2 दिनो की स्वीकार्य अवधि के पश्चात 135 प्रविष्टि बिलो के संदर्भ में सीमा शुल्क का भुगतान विलम्ब से किया गया। हालांकि, ईडीआई सिस्टम द्वारा सीमा शुल्क के विलम्बित भुगतान हेतु कोई ब्याज संगणित नहीं किया गया।

एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कमी के कारण, 135 मामलो में सिस्टम स्वचालित रूप से शुल्क के निर्धारण की तिथि से लेकर शुल्क के भुगतान की तिथि तक 5/2 दिनो (जैसाकि मामला हो) से अधिक आयातको से देय ब्याज अंश की संगणना करने में विफल हुआ। इसके परिणामास्वरूप आयातको के ब्याज का संग्रहण नहीं हुआ जिससे ₹ 10.29 लाख के राजस्व की हानि हुई।

इसे विभाग को अक्तूबर 2015 में सूचित किया गया। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।